पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्रीमती रामबरती कुमारी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 22355

16 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया?

हेडनोट्स

आंगनबाड़ी सेविका का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण नहीं प्राप्त करता है। (कंडिका - 8)

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है और याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के बाद ही आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, अतः उनमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। (कंडिका - 10)

याचिका खारिज। (कंडिका - 11)

न्याय दृष्टान्त

सज्जन देवी बनाम बिहार राज्य, **2004 (2) पी.एल.जे.आर. 833**; कर्नाटका राज्य एवं अन्य बनाम अमीरबी एवं अन्य, **(2007) 11 एस.सी.सी. 681;** बबीता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2016 **एस.सी.सी. ऑनलाइन पटना 9434;** नीतू कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**, 2011 (4) पी.एल.जे.आर. 20**

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान: अनुच्छेद 311

मुख्य शब्दों की सूची

आंगनबाड़ी सेविका; एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस); प्राकृतिक न्याय; अनुच्छेद 311; सेवा से पृथक्करण; सरकारी पद; कारण बताओ नोटिस; मानधन; बच्चों का कल्याण

प्रकरण से उत्पन्न

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नवादा द्वारा दिनांक 27.12.2013 को पारित आदेश; उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया द्वारा दिनांक 06.11.2014 को आंगनबाड़ी अपील संख्या 18(क) / 2014 में पारित आदेश

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अर्जुन प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदातओं की ओर से: श्री राज नंदन प्रसाद, एससी-9

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 22355

==

श्रीमती रामबरती कुमारी, पति- श्री नंदलाल मांझी, निवासी- गाँव- रोहुआ, थाना- पकरी बरावां, जिला- नवादा।

...............याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया।
3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नवादा, जिला-नवादा।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, नवादा।

.............उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अर्जुन प्रसाद, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राज नंदन प्रसाद, एससी-9

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह
मौखिक निर्णय
दिनांक : 16-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका, दिनांक 27.12.2013 के आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जिसे जिला कार्यक्रम अधिकारी, नवादा, अर्थात उत्तरदाता सं. 3 द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता का आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनांकित 06.11.2014 के अपीलीय आदेश को भी अपास्त करने की मांग की है, जिसे उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया, अर्थात उत्तरदाता सं. 2 ने 2014 की आंगनवाड़ी अपील स. 18(क), में पारित किया था।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले का संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उन्हें केंद्र कोड सं. 29, ग्राम- रोहुआ, डुमरावां ग्राम पंचायत, प्रखण्ड- पाकरी बारावन, जिला- नवादा में आंगनवाड़ी सेविका के रूप में नियुक्त किया गया था तथा तब से वह समस्त संबंधित लोगों की संतुष्टि

के लिए आंगनवाड़ी सेविका के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थीं। यह दलील दिया जाता है कि 16.09.2013 को एक राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति केंद्र में पहुंची थी तथा उसे बंद पाया गया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ, जारी किया गया था तथा याचिकाकर्ता द्वारा अपना जवाब दाखिल करने पर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, नवादा ने दिनांकित 27.12.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा आंगनवाड़ी सेविका के पद पर याचिकाकर्ता का चयन रद्द कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपील दायर की थी, हालांकि, इसे दिनांकित 06.11.2014 के आक्षेपित आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दिया है कि याचिकाकर्ता पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड कठोर है, इसलिए एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए।

4. *इसके विपरीत*, उतरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर प्रति-शपतपत्र का उल्लेख करते हुए यह दलील दिया है कि प्रश्नगत केंद्र पर 16.09.2013 को एक निरीक्षण के बाद, उक्त केंद्र बंद पाया गया और याचिकाकर्ता अनुपस्थित थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 02.11.2013 का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया था कि चूंकि वह कुछ अपचन की समस्या के कारण शौचालय गई थी, इसलिए प्रश्नगत केंद्र बंद था। यह दलील दिया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए उत्तरदाता सं. 3 द्वारा दिनांकित 27.12.2013 का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का आंगनवाड़ी सेविका के रूप में चयन रद्द कर दिया गया था, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है। इस समय, इस न्यायालय की एक विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो ***2004 (2) पी.एल.जे.आर. 833 (सज्जन देवी***

बनाम बिहार राज्य) में प्रतिवेदित हुआ है, जिसके कंडिका सं. 11 से 16 तक को यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :-

> *"(11) विचार किए जाने वाला पहला प्रश्न यह है कि क्या आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति सरकारी सेवा में किसी पद पर नियुक्ति है। यदि उनकी नियुक्तियाँ सरकारी सेवा में पदों पर हैं तथा उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करते हुए नियुक्त किया गया है, तो उस स्थिति में नियमों के तहत प्रदान की गई विभागीय जांच किए बिना कदाचार के आधार पर उनकी नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि वे सरकारी सेवा में किसी पद पर नहीं हैं तथा उनकी नियुक्तियां किसी योजना के तहत सेवा के अनुबंध के आधार पर हैं, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् समझौते के संदर्भ में उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।*
>
> *(12) यह योजना गरीब और वंचित व्यक्तियों की सहायता के लिए बनाई गई है, जो उपरोक्त वर्णित योजना के तहत शामिल हैं। यह नियुक्ति केवल साक्षात्कार के आधार पर की जाती है और इसमें कोई वेतन नहीं दिया जाता है, और न ही यह नियुक्ति सरकारी सेवा में किसी पद के विरुद्ध की जाती है। कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक विशेष अवधि हेतु मानदेय का भुगतान किया जाता है। यदि उनकी सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें आंगनबाड़ी सेविका के पद से हटाया जा सकता है। नियुक्ति की शर्तें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि वे सरकारी सेवा में नहीं लगे हुए हैं और न ही वे सरकारी सेवा में कोई पद धारण करती हैं, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण प्राप्त है। यदि यह पाया जाता है कि वे उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही हैं, जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, तो वचनबद्धता पत्र के नियमों के अनुसार उन्हें हटाया जा सकता है। वे अपने*

विघटन से पहले एक नियमित विभागीय जांच शुरू करने का दावा नहीं कर सकती हैं।

(13) इस प्रकार, आंगनवाड़ी सेविका का पद सरकारी सेवा में एक पद नहीं है तथा इस प्रकार निजी उत्तरदाता भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं।

(14) अभिलेख से पता चलता है कि कई बार निरीक्षण किए गए और निजी उत्तरदाता अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित पाए गए। यह भी पाया गया कि ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। इसके बाद, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, और उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, जिसके बाद उनकी वचनबद्धता रद्द कर दी गई।

(15) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता का पालन किया गया है तथा चूंकि वे सरकारी सेवा में नहीं हैं, इसलिए वे निष्कासन से पहले नियमित कार्यवाही का दावा नहीं कर सकते हैं, या उपरोक्त अधिनियम को कदाचार के रूप में मानते हुए हटा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से यह भी माना जाता है कि वे सरकारी सेवा में अस्थायी रोजगार पर थे, तो यह भी पाया जाता है कि अधिकारियों ने उनके पिछले आचरण को एक उद्देश्य के रूप में ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें सुनने का अवसर देने के पश्चात् उन्हें हटा दिया है तथा इस तरह वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर अपने निष्कासन में किसी भी निःशक्तता का दावा नहीं कर सकते हैं।

(16) इस प्रकार, अधिकारियों द्वारा दिनांकित 13.2.1989 और 18.2.1989 को पारित आदेश, जिसके द्वारा निजी उत्तरदाताओं की आंगनबाड़ी सेविका के रूप में वचनबद्धता रद्द करने को चुनौती देते हुए 1991 का सी.डब्लू.जे.सी. सं. 290

> *दायर किया था, वैध आदेश माने गए हैं और उनमें कोई अनियमितता नहीं है, और तदनुसार, निजी उतरदाता द्वारा दायर की गयी 1991 की सी.डब्लू.जे.सी. सं. 290 खारिज कर दी जाती है।*

6. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2007) 11 एस.सी.सी. 681 में प्रतिवेदित (कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी और अन्य) में दिए गए एक निर्णय का भी उल्लेख करेगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पद वैधानिक पद नहीं है तथा उन्हें योजना के संदर्भ में बनाया गया है तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता असैनिक पद के धारक भी नहीं हैं क्योंकि वे राज्य के किसी भी कार्य को नहीं करते हैं क्योंकि वे एक कानून के तहत पद नहीं रखते हैं, उनके पद नहीं बनाए जाते हैं, राज्य के कर्मचारियों के लिए सामान्य रूप से लागू भर्ती नियम उनके मामले में लागू नहीं होते हैं। इसलिए, राज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के तहत निहित समानता की संवैधानिक योजना का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. यह न्यायालय ***बबीता कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले जो ***2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन पट. 9434*** में प्रतिवेदित है, में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए एक निर्णय का उल्लेख करना भी उचित और उपयुक्त समझता है, जिसके कंडिका संख्या 7 और 8 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> *"7. विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप बहुत स्पष्ट थे, जैसा कि दिनांकित 22.02.2012 के कारण बताओ नोटिस से स्पष्ट होगा, जिसे जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के साथ-साथ केंद्र में बनाए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों/पंजिका के आलोक में जारी किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दिया गया जवाब, जिसकी प्रति अभिलेख पर लाई गई है, किसी भी औचित्य का संकेत नहीं करता है, बल्कि इसमें कहा गया है कि 24.09.2011 को निरीक्षण*

के समय, बच्चे अभी भी आ रहे थे और 07.10.2011 को, वह खुद बच्चों को बुलाने गई थी और उस दौरान निरीक्षण हुआ था। अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहा गया था कि 30.09.2011 को वह बारिश में भीगने के कारण बीमार हो गई थी। हम पाते हैं कि ऐसा स्पष्टीकरण अस्पष्ट और टालमटोल भरा है और विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। आंगनबाड़ी केंद्रों को चलाने की भावना और उद्देश्य पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है और इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले और वंचित वर्ग के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उक्त योजना के निष्पादन में किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक दिन का बंद भी लाभार्थियों को उनके भोजन के बिना रहने के लिए मजबूर करता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हम उसके चयन को रद्द करने के अधिकारियों के निर्णय और ऐसे आदेश पारित करने से पहले उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाते हैं।

8. उपरोक्त कारणों से, लेटर्स पेटेंट अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज की जाती है।"

8. ***नीतू कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य*** के मामले जो ***2011 (4) पी.एल.जे.आर. 20*** में प्रतिवेदित है, में इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा दिए गए एक और निर्णय का उल्लेख करना भी उचित और उपयुक्त समझता है, जिसके कंडिका सं. 4 और 5 को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

*"**4.** हमारे विचार में, आंगनबाड़ी सेविका का पद ऐसा पद नहीं है जिसमें सेवाकाल की सुरक्षा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण हो। वचनबद्धता की प्रकृति पर विचार करते हुए, जो मानदेय प्रदान करती है, हमारा विचार है कि यदि अपीलकर्ता अभी भी व्यथित महसूस करती है, तो*

वह नुकसान के लिए व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। इस तरह की योजना में मानदेय के अलावा कुछ भी दांव पर नहीं है। उस स्थिति में बहाली का उपाय उचित नहीं है, और भले ही योजना या कानून के किसी अन्य सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, यदि दावा योग्यता के आधार पर सही पाया जाता है, तो उसे केवल हर्जाने के लिए ही अनुमति दी जानी चाहिए।

***5.** अपील ख़ारिज की जाती है।*

9. अब, वर्तमान मामले पर आते हुए, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता ने अपने कारण बताओ जवाब में स्वीकार कर लिया है और प्रश्नगत केंद्र को एक दिन के लिए भी बंद करना आई.सी.डी.एस. योजना के निष्पादन में एक गंभीर चूक है, जिसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र को एक दिन के लिए भी बंद करने से लाभार्थियों को उनके भोजन से वंचित होना पड़ता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार, याचिकाकर्ता के आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन रद्द करने की सजा को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। आँगनबाड़ी केंद्रों को चलाने के महत्व और उद्देश्य को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और इसका उद्देश्य समाज के सबसे निचले और वंचित वर्ग के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना है। उक्त योजना के निष्पादन में किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

10. इसके अलावा, यह न्यायालय पाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं का पालन किया गया है और आक्षेपित आदेश, याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करने के बाद पारित किए गए हैं, इसलिए आक्षेपित आदेशों में कोई अनियमितता नहीं पाई जा सकती है। मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार करने के बाद, यह न्यायालय संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कारण तथा दिखाए गए कारण वास्तव में विश्वसनीय नहीं हैं और वह योजना के अनुसार गरीब और वंचित व्यक्तियों के बच्चों को सहायता प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही है। इस प्रकार, जिला कार्यक्रम

अधिकारी, नवादा द्वारा पारित दिनांकित 27.12.2013 के आक्षेपित आदेश में या 2014 के आंगनबाड़ी अपील सं. 18(क) में उप निदेशक, कल्याण, मगध प्रमंडल, गया द्वारा पारित दिनांकित 06.11.2014 के आदेश में कोई अनियमितता/अवैधता नहीं है। मामले का यह पहलू इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ द्वारा बबीता कुमारी (उपरोक्त) और सज्जन देवी (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णयों से पूरी तरह से कवर किया गया है।

11. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा ऊपर उल्लिखित कारणों हेतु, मुझे वर्तमान रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एसबी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।